

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/8017-यू/एफ.00362/2025/ दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1)एफडी/(रूल्स)2013-II दिनांक 28.06.20213 की अनुपालना में श्री रविन्द्र सिंह भाटी, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाचरियावास, सीकर जिनकी प्रथम नियुक्ति तिथि 04.02.2013 है को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने पर दिनांक 04.02.2015 से 9840/-(5200-20200 रनिंग पे व ग्रेड पे 2400) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

इनके द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से DOEACC "O" लेवल कोर्स दिनांक 21.01.2013 एवं टंकण परीक्षा दिनांक 27.12.2013 को उत्तीर्ण करली गई है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/8017-यू/एफ.00362/2025/207
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 06/03/25

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खाचरियावास, सीकर।
3. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :05-03-2025 08:48:22